

डिक्री वमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 274/2019

1. जगदीश प्रसाद पुत्र भुराराम जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ।
वादी

वनाम्

1. भुराराम पुत्र जिसुखराम जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. महावीर प्रसाद पुत्र भुराराम जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री महावीरप्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि क.वादी जगदीश प्रसाद को चकनं 15 एनजीसी के खाता सं 37 के प 0 न 201/269 मु 15 किलानं 16/1/.190, 16/2/.063 गै 0 मु 0 सड़क, 25/1/.190, 25/2/.063 है 0 गै 0 मु 0 सड़क कुल . 506 है 0, ख.प्रतिवादीसं 1 भुराराम को चकनं 13 एनजीसी के खाता सं 26 के प 0 न 202/269 मु 16 किलानं 11/1/.228, 11/2/.025 गै 0 मु 0 खाला, किलानं 12/.253, ग.प्रतिवादी सं 2 महावीर प्रसाद को चकनं 13 एनजीसी के प 0 न 202/269 मु 16 किलानं 20/1/.228, 20/2/.025 है 0 गै 0 मु 0 खाला, 21/1/.228, 21/2/.025 है 0 गै 0 मु 0 खाला के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर पक्षकारान का खाता पृथक से कायम कर रकम राज अलग से कायम करने तथा चकनं 13 एनजीसी के खातासं 26 से जगदीश प्रसाद का नाम, चकनं 15 एनजीसी के खाता सं 37 से भुराराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के उपघात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बावत्.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयावी तक
.....अदा करें।

वसूल मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 3-9-19.....को जारी

दिये जायेगा।



(मीनू वर्मा) एवं
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी